

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर (छ0ग0)

☎07831-273091, 273092 (Office) 273093 (fax) email :- dfobalrampur@gmail.com

क्रमांक / मा.चि. / 2023 /

बलरामपुर दिनांक / / / 2023

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक,
सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर
जिला सरगुजा (छ0ग0)

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Private Ltd. Rajpur Laying of Optical Fiber Cable (OFC) line in Balrampur Forest Under Balrampur District of Chhattisgarh State, Area -11.198 Ha.

(FP/CG/OFC/59970/2020 Area 11.198 ha.)

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्रमांक / भू-प्रबंध / विविध / एल.एम.-115-884ए/195 रायपुर, दिनांक 28.01.2021

-00-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार आवेदक संस्थान महाप्रबंधक, (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर का व्यपवर्तन प्रस्ताव विन्दुवार निम्नानुसार है :-

1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (पेज क्र. 01)

टीप :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनमण्डल बलरामपुर में 11.198 हे. के क्षेत्र में वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु मांग प्रस्तुत किया गया है वनभूमि की मांग न्यूनतम है।

2. प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (पेज नं. 02 से 03 तक)

टीप :- प्रकरण का ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/59970/2020

3. वन क्षेत्र विवरण (पेज नं. 04 से 18 तक)

टीप :- बलरामपुर के आरक्षित वन के 08 कंपार्टमेंट जिसका कुल रकबा 0.559 हे., संरक्षित वन भूमि के 162 कंपार्टमेंट जिसका कुल रकबा 9.205 हे0 कुल वनभूमि 9.764 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रेषित है। विवरण संलग्न है

4. गैर वन क्षेत्र विवरण (पेज क्र. 19)

राजस्व वन भूमि में कुल 246 खसरा जिसका कुल रकबा 1.434 हे. है। विवरण संलग्न है

5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोग्रीफ 1:50000 स्केल पर (पेज क्र. 20 से 21 तक)

टीप :- प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोग्रीफ 1:50000 स्केल पर अंकित कर संलग्न है।

6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (पेज क्र 22)

टीप :- वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।

7. प्रपत्र 4 में प्रस्ताव (पेज क्र. 23 से 32 तक) संलग्न है।

टीप :- वनमण्डल बलरामपुर में 11.198 हे. के क्षेत्र में वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।

8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (पेज क्र. 33) संलग्न है।

टीप :- मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार एवं सुदृढीकरण से इन क्षेत्रों में इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग, शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार सृजन के अवसर में वृद्धि होकर उस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास भी होगा।

9. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र। (पेज क्र. 34)

टीप :- प्रस्तावित की गई वन भूमि की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।

10. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो / जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (पेज क्र. 35)

टीप:- आवेदक संस्थान द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

11. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा (पेज क्र. 36 से 46)

टीप :- प्रयोक्त एजेंसी एवं वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर, वनमण्डल का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) में संलग्न है।

12. ऐतिहासिक प्रमाण पत्र (पेज क्र. 47)

टीप :- प्रस्तावित क्षेत्र के आस-पास किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल नहीं है।

13. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (पेज क्र. 48 से 261)

टीप:- ओ.एफ.सी. केबल बिछाने में पड़ने वाले समस्त ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

14. जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में (पेज क्र. 262 से 263 तक)

टीप :- बलरामपुर जिल की कुल वन भूमि रकबा 305195.984 हे. है।

15. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन रकबा हैं. (पेज क्र. 264 से 265 तक)

टीप :- व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरण बलरामपुर वनमण्डल अंतर्गत रकबा 1684.238 हे है।

16. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Category की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे.में।(पेज क्र. 266 से 267 तक)

टीप :- व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Category अंतर्गत कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि बलरामपुर वनमण्डल अंतर्गत रकबा 1.608 हे. है।

17. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (पेज क्र. 268)

टीप :- प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं है।

18. वन अधिनियम मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (पेज क्र. 269 से 272 तक)

टीप :- कलेक्टर बलरामपुर एवं कलेक्टर सरगुजा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

19. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (पेज क्र. 273 से 283) संलग्न है।

टीप :- राजस्व वन भूमि में कुल 246 खसरा जिसका कुल रकबा 1.434 हे. का प्रमाण पत्र संलग्न है।

20. पंजीयन कमाक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (पेज क्र. 284)

टीप:- आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन शुल्क राशि रु 6000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क राशि रु 58000/- जिसे वनमण्डल के पी.डी. खाते में जमा किया गया है।

21. राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर से ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा (पेज क्र. 285 से 352)

टीप :- ओ.एफ.सी केबल लाईन राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर से होकर नहीं गुजरता है

अतः प्रस्ताव वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताओं की पूर्ति कर प्रथम चरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 04 प्रतियों में अनुशंसा सहित संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार
प्रस्ताव 05 प्रतियों में

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

बलरामपुर दिनांक / / 2023

पृ. क्रमांक/मा.चि./2023/

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी वनसंरक्षण अधिनियम 1980 छ0ग0 रायपुर को अवलोकनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर बलरामपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. आवेदक संस्थान महाप्रबंधक, (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर